अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

पत्रांक–प्र०–6 / विविध–164 / 2010– 5386(E) / पटना, दिनांक 10.8.16

प्रेषक,

लक्ष्मी नारायण दास,
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव,

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (रा०उ०प० उपभाग सहित)
पथ निर्माण विभाग
सभी अधीक्षण अभियंता (रा०उ०प० अंचल सहित)
पथ निर्माण विभाग
सभी कार्यपालक अभियंता (रा०उ०प० प्रमंडल सहित)
पथ निर्माण विभाग

विषय :– अन्य विभाग के संवेदकों को कालीसूची में डालने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक जल संसाधन विभाग एवं ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा संवेदकों को कालीसूची में डालने की सूचना दी गई है जिसकी सूची निम्नवत् है :–

क्र० सं०	संवेदक का नाम / निबंधन संख्या	विभाग का नाम	ज्ञापांक / दिनांक	अभ्युक्ति
1.	मेसर्स जीरादेई नरेन्द्रपुर इंजिनियरिंग एण्ड कन्सट्रक्शन कम्पनी, मुहल्ला–अयोध्यापुरी, श्रीनगर, वार्ड नं०–1, पो०+जिला–सिवान नि0सं0–02 / 2012 (श्रेणी–द्वितीय)	जल संसाधन विभाग	ज्ञापांक–3939 दि०–20.07.2016	10 (दस) वर्षों के लिए कालीसूची में डाला गया है।
2.	मेसर्स आर०के० कन्सट्रक्शन, ग्राम+पोस्ट–सोनवे, जिला–जमुई (नि0सं0–1831 / 2010 श्रेणी–द्वितीय)	ग्रामीण कार्य विभाग	ज्ञापांक–8399 दि०–12.07.2016	15 (पन्द्रह) वर्षों के लिए कालीसूची में डाला गया है।
3.	फ्लोमोर लिमिटेड, 1584 / 113 पो०–गणेशपुरा, त्रिनगर, नई दिल्ली–110035 नि0सं0– 30 / 2013 (श्रेणी–प्रथम)	जल संसाधन विभाग	ज्ञापांक–3587 दि०–01.07.2016	10 (दस) वर्षों के लिए कालीसूची में डाला गया है।
4.	अरावली इन्फ्रापॉवर लिमिटेड, 29 तीसरा तल्ला वर्द्धमान टावर, कम्युनिटी सेन्टर, विकासपुरी, नई दिल्ली, 110018 नि0सं0– 554 / 2010 (श्रेणी प्रथम)	ग्रामीण कार्य विभाग	ज्ञापांक–8092) दि०–02.07.2016	15 (पन्द्रह) वर्षों के लिए कालीसूची में डाला गया है।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

10/8/16

(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

10/8/16

D:\NEHA SINHA\2012 KA NEW FOLDER\MANGAL\DRAFT\DEBAR MUKAT LETTER OTHER\DEBAR MUKAT LETTER.DOCX

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

आदेश सं0 :– 11/ विविध – 06–28/2015 .... दिनांक ....

आदेश

तत्कालीन नलकुप प्रमंडल बर्त्तमान लघु सिंचाई प्रमंडल, सिवान के अधीन संवेदक मेसर्स जीरादेई नरेन्द्रपुर इंजीनियरिंग एण्ड कंस्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा निम्नांकित कार्यो के लिए एकरारनामा किया गया जिसकी विवरणी इस प्रकार है :–

1	2	3	4	5
क्रमांक	कार्य का नाम	एकरारनामा संख्या एवं तिथि	एकरारित राशि (रूपये में)	एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि
1	सिवान जिले के अंतर्गत 15 अदद नलकूप का जिर्णोद्धार कार्य	01 SBD/2013–14, 05.04.2013	2,39,33,526/–	30.04.2014
2	सिवान जिले के अंतर्गत 11 अदद नलकूप का जिर्णोद्धार कार्य	01 fo/ 2013–14, 05.04.2013	1,45,37,666/–	30.04.2014

एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि तक कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण कार्यपालक अभियंता नलकूप प्रमंडल, सिवान द्वारा अपने पत्रांक 537 दिनांक 26.07.14 तथा 536 दिनांक 26.07.14 एवं 565 दिनांक 01.08.14 द्वारा संवेदक को शेष सभी कार्यो को अविलम्ब पूर्ण करने हेतु निदेशित किया गया था साथ ही नियमानुकूल कार्रवाई हेतु सचेत भी किया गया था, बावजूद इसके संवेदक द्वारा कार्य पूर्ण करने में कोई अभिरूचि नहीं ली गई। कार्यपालक अभियंता द्वारा दिनांक 22.09.14 को दैनिक हिन्दुस्तान में कार्यालय सूचना के माध्यम से संवेदक को निदेशित किया गया कि कार्य को शीध्र पूर्ण करें अन्यथा बाध्य होकर उनके विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।

कार्यपालक अभियंता, नलकूप प्रमंडल, सिवान द्वारा कार्य की प्रगति के पूर्ण व्यौरे के साथ अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल छपरा को पत्रांक 629 दिनांक 24.06.15 से प्रतिवेदित किया गया कि संवेदक द्वारा दिनांक 28.12.13 के पश्चात कोई भी कार्य नहीं किया गया। एकरारनामा संख्या 01 SBD–2013–14 में मात्र 62.68 प्रतिशत तथा 01 f2/ 2013–14 में मात्र 55.56 प्रतिशत ही कार्य किया गया। इस प्रकार संवेदक द्वारा कार्य को आधा–अधुरा छोड़ दिया गया।

उपर्युक्त प्रतिवेदनों के आधार पर लघु जल संसाधन विभाग के पत्रांक 1520 (मो0) दिनांक 01.09.15 द्वारा बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के नियम 11 (क) (ii) मैं प्रावधानित कदाचार यथा एकरारनामा एवं विहित निर्देश के अनुसार कार्य निस्पानदन में चूक के लिए संवेदक को दोषी पाते हुए संवेदक के विरूद्ध कार्रवाई की अनुशंसा की गई। तदालोक में विभागीय पत्रांक 5466 दिनांक 19.11.15 से कारण पृच्छा की गई लेकिन संवेदक द्वारा इसका कोई जबाव नही दिये जाने के कारण पत्रांक 865 दिनांक 10.02.2016 से उन्हें कारण पृच्छा हेतु स्मारित भी किया गया, लेकिन संवेदक द्वारा कारण–पृच्छा नहीं समर्पित किया गया।

कृ0पृ0उ0

(359)

संवेदक द्वारा कारण पृच्छा नहीं समर्पित किये जाने की स्थिति में मामले की एकपक्षीय समीक्षा की गई और समीक्षोपरांत यह पाया गया कि बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के नियम 11(क) (ii) में वर्णित कदाचार यथा–एकरारनामा एवं विहित विनिर्देश के अनुसार कार्य निष्पादन में चुक के लिए संवेदक दोषी हैं।

अतः संवेदक मेसर्स जीरादेई नरेन्द्रपुर इंजिनियरिंग एंड कन्सट्रक्शन कम्पनी, मुहल्ला–अयोध्यापुरी श्रीनगर, वार्ड नं0 – 1, पो0 + जिला – सिवान के निबंधन संख्या – 02/2012 (श्रेणी – द्वितीय) को दस वर्षो के लिए काली सूची में डाला जाता है।

अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन
जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक.................................. दिनांक...

ीड पोस्ट प्रतिलिपिः– मेसर्स जीरादेई नरेन्द्रपुर इंजिनियरिंग एंड कन्सट्रक्शन कम्पनी, प्रो0 श्री ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह, मुहल्ला – अयोध्यापुरी श्रीनगर, वार्ड नं0 – 1, पो0 + जिला – सिवान, पिन – 841226 को सूचनार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन
जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक 3939 दिनांक 20.7.2016

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव/ सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना/ पथ निर्माण विभाग, पटना/ लोक स्वास्थय अभियंत्रण विभाग, पटना/ भवन निर्माण विभाग, पटना/ लधु जल संसाधन विभाग, पटना/ ग्रामीण कार्य विभाग, पटना/ सभी मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग/ अधीक्षण अभियंता बाढ़ नियंत्रण योजन एवं मो0 अंचल, पटना/अधीक्षण अभियंता योजना एवं मो0 अंचल 2 एवं 3 पटना/ निदेशक क्रय भंडार एवं सामाग्री प्रबंधन जल संसाधन विभाग बिहार, पटना/ आई.टी.मैनेजर को विभागीय, बेवसाईट पर डालने हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन
जल संसाधन विभाग, पटना।
20/7/16

5182

बिहार सरकार

ग्रामीण कार्य विभाग

सकारण आदेश

सकारण आदेश संख्या–14/अ0प्र0–1–48/16 8399 पटना, दिनांक–12-7-16

मुख्य अभियंता-2, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना के पत्रांक–2058 अनु0 दिनांक 09.06.2016, अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य अंचल, मुंगेर के पत्रांक 803 अनु0 दिनांक 23.05.2016 एवं कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जमुई के कार्यालय आदेश – 483 दिनांक 30.03.2016 के द्वारा संवेदक मेसर्स आर0 के0 कन्स0, ग्राम+पोस्ट– सोनवे, जिला– जमुई द्वारा एकरारनामा संख्या– 41एफ02/2011–12 के तहत शीर्ष न्यूनतम आवश्कयता कार्यक्रम के अंतर्गत पी0एम0जी0एस0वाई0 पथ चन्द्रशैली से बाराबांध तक पथ निर्माण का कार्य करने हेतु एकरारनामा किया गया था। उक्त पथ अनुरक्षण अवधि में है। परन्तु संवेदक द्वारा रख–रखाव का कार्य नहीं किया जा रहा है। कार्य प्रारंभ करने के लिए पूर्व में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जमुई द्वारा मौखिक रूप से निदेश दिया गया, लेकिन संवेदक द्वारा इस दिशा में रूची नहीं ली गयी। बाध्य होकर कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, जमुई के पत्रांक 316 दिनांक 02.03.2016 एवं पत्रांक 451 दिनांक 27.03.2016 रख–रखाव कार्य प्रारंभ करने हेतु सूचना दी गयी। परन्तु इस पर भी संवेदक द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किया गया।

अतः वर्णित परिस्थिति के आलोक में तथा कार्य हित में बाध्य होकर कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, जमुई द्वारा संवेदक मेसर्स आर0 के0 कन्स0, ग्राम+पोस्ट– सोनवे, जिला– जमुई के साथ हुये एकरारनामा संख्या– 41एफ02/2011–12 को Condition of contract के आलोक में समाप्त (Terminate) किया गया है।

कार्यपालक अभियंता के उपर्युक्त प्रतिवेदन के आधार पर विभागीय पत्रांक 5159 दिनांक 28.04.2016 के द्वारा इस संबंध में मेसर्स आर0 के0 कन्स0, ग्राम+पोस्ट– सोनवे, जिला– जमुई को (निबंधन संख्या–1831/2010) (श्रेणी–द्वितीय) से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। संवेदक से मांगा गया स्पष्टीकरण अप्राप्त है।

विभागीय समीक्षोपरांत संवेदक द्वारा स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने की स्थिति में बिहार ठीकेदारी नियमावली 2007 की कंडिका–11 के उप कंडिका– VI के तहत मेसर्स आर0 के0 कन्स0, ग्राम+पोस्ट– सोनवे, जिला– जमुई को (निबंधन संख्या–1831/2010) श्रेणी–द्वितीय को 15 वर्षो के लिए विभागीय काली सूची में डाला जाता है।

(कमलेश चौधरी)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–1–48/16 8399 पटना, दिनांक– 12-7-16

प्रतिलिपि– मेसर्स आर0 के0 कन्स0, ग्राम+पोस्ट– सोनवे, जिला– जमुई को (निबंधन संख्या–1831/2010) श्रेणी–द्वितीय सूचनार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–3–49/15 8399 पटना, दिनांक– 12-7-16

प्रतिलिपि–कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निर्देशित किया जाता है कि एकरारनामा के प्रावधानों के तहत उक्त संवेदक के जमानत की राशि जब्त करने एवं उनके विरूद्ध सर्टिफिकेट केस दायर करने की कार्रवाई सुनिश्चित कर अनुपालन प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध करायें।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–1–48 / 16 8399 पटना, दिनांक– 12.7.16

प्रतिलिपि–अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग / भवन निर्माण विभाग / जल संसाधान विभाग / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / नगर विकास विभाग / उर्जा विभाग / सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग / सभी अधीक्षण अभियता / सभी कार्यपालक अभियंता / सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06/07/16

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–1–48 / 16 8399 पटना, दिनांक– 12.7.16

प्रतिलिपि– सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

06/07/16

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक–14 / अ0प्र0–1–48 / 16 8399 पटना, दिनांक– 12.7.16

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06/07/16

अभियंता प्रमुख

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

का0आ0सं0– 11 / विविध–02–01 / 2016– पटना, दिनांक–

कार्यालय आदेश

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिवान परिक्षेत्राधीन कार्यपालक अभियंता, सारण नहर प्रमंडल, एकमा के अंतर्गत दाहा उदवह सिंचाई योजना के कार्य से संबंधित एकरारनामा संख्या–01SBD/2011-12 का सम्पादन संवेदक मेसर्स फ्लोमोर लिमिटेड, क्षेत्रीय प्रबंधक श्री राजेश सिन्हा, संतोष भवन, रोड नंबर– 1, राजवंशी नगर, पटना द्वारा दिनांक–08.07.2011 को किया गया था। कालांतर में पाया गया कि कार्य मे प्रयुक्त Pedestal Thrust Block क्षतिग्रस्त हो गया । क्षतिग्रस्त Pedestal Thrust Block एवं पाईप में क्रेक की जॉच दिनांक–21.08.2015 को उड़नदस्ता जाँच दल द्वारा की गई एवं जाँच में पाया गया कि एकरारनामा के अनुसार दाहा नदी के 10 घन सेक जल श्राव वाले 5 अदद 90 KWVT मोटर पंप , विद्युत उपकरण दो सेट, 315 KVA ट्रांसफर्मर दो सेट, सेफ्टी डिवाइस इत्यादि सभी का रूपांकण, निर्माण अधिष्ठापन, आपूर्ति, जॉच तथा तीन वर्ष तक संचालन एवं रख–रखाव सहित यांत्रिक कार्य सभी अव्यवों के रूपांकण, आपूर्ति, अधिष्ठापन तथा संचालन करते हुए कार्य का निष्पादन संवेदक द्वारा किया जाना था । साथ ही IS Code 5822-1994 एवं IS Code- 5330-1984 के आलोक में लोहे के पाईप लाइन तथा अवयवों का रूपांकण विभाग को समर्पित नहीं किया गया न ही यांत्रिक कार्यो का अनुमोदन ही विभाग से प्राप्त किया गया । फलस्वरूप पाईप लाईन में पर्याप्त संख्या में Expansion Joint नहीं दिये जाने के कारण पाईप लाईन क्रेक कर गया, साथ ही Pedestal एवं Thrust Block भी क्षतिग्रस्त हो गया ।

संवेदक के विरूद्ध उपर्युक्त आरोप के संदर्भ में विभागीय पत्रांक–951 दिनांक–15.02.16 द्वारा उनसे कारण–पृच्छा किया गया। पत्रांक–FL-PAT/WRD-BIHAR/87-122 दिनांक– 01.03.2016 द्वारा संवेदक से कारण–पृच्छा प्राप्त हुआ । संवेदक से प्राप्त कारण–पृच्छा की समीक्षा की गई एवं समीक्षोपरांत पाया गया कि एकरारनामा के अनुसार दाहा नदी के 10 घन सेक जल स्त्राव वाले 5 अदद 90KWVT मोटर पंप, विद्युत उपकरण दो सेट 315 KVA ट्रासफर्मर दो सेट, सेफ्टी डिवाइस इत्यादि सभी का रूपांकण , निर्माण, अधिष्ठापन, आपूर्ति , जॉच तथा तीन वर्षो तक संचालन करते हुए कार्य का निष्पादन संवेदक द्वारा किया जाना था, लेकिन संवेदक द्वारा ऐसा नहीं किया गया । संवेदक द्वारा Is Code 5822-1994 एवं Is Code 5330-1984 के आलोक में लोहे के पाईप लाइन तथा रूपांकण विभाग को समर्पित नहीं किया गया और न ही यांत्रिक कार्यों का अनुमोदन विभाग से प्राप्त किया । समीक्षा के क्रम में यह बात भी स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आया कि संवेदक द्वारा पाइप लाइन में पर्याप्त संख्या में Expansion Joint नहीं दिये जाने के कारण पाईप लाइन क्रेक कर गया एवं Pedestal एवं Thrust Block भी क्षतिग्रस्त हो गया ।

उपर्युक्त से विदित होता है कि एकरारनामा के अनुसार कार्य नहीं करने के लिए संवेदक कंपनी फ्लोमोर लि0 पूर्ण रूप से दोषी हैं एवं उनके कृत्य को बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली –2007, के नियम 11 (क)(ii) में प्रावधानित कदाचार यथा– एकरारनामा एवं विहित विनिर्देश के तहत कार्य निष्पादन में चूक को प्रमाणित मानते हुए विभागीय ज्ञापांक– 201 दिनांक– 14.03.2016 के आलोक में संवेदक कंपनी फ्लोमोर लिमिटेड, 1584 / 113, पो0–गणेशपुरा, त्रिनगर, नई दिल्ली– 110035 के निबंधन संख्या– 30 / 2013 (श्रेणी – प्रथम) का दस वर्षो के लिए काली सूची में डाला जाता है ।

ह0 / –
(राम पुकार रंजन)
अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन

कृ0पृ0उ0–2

TSC-1/ON DESKTOP/TSP/06-16/Sec-11

Bihar 65/17

355

स्पीड पोस्ट

ज्ञापांक—   पटना, दिनांक—

प्रतिलिपिः— फ्लोमोर लिमिटेड, निदेशक— श्री रिषभ गुप्ता, पता— 1584/113, पो0— गणेशपुरा, त्रिनगर, नई दिल्ली/फ्लोमोर लिमिटेड, प्लॉट नंबर— 14, ब्लॉक— 11, मोहन कॉ—ऑपरेटिभ, इन्डस्ट्रियल इस्टेट, नई दिल्ली — 110034 को सूचनार्थ ।

ह0/—
(राम पुकार रंजन)
अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन

ज्ञापांक— 3587   पटना, दिनांक— 01.7.2016

प्रतिलिपिः— प्रधान सचिव/ सचिव, पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, भवन निर्माण विभाग/ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/ अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मो0 अंचल— 2,3 एवं 4/ अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल/ निदेशक क्रय भंडार एंव सामग्री प्रबंधन/ सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग के अधीन / आई0टी0 मैनेजर, जल संसाधन विभाग को बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

रा0पु0रंजन 01/07/16
(राम पुकार रंजन)
अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन
29/6/16

TSC-1/ON DESKTOP/TSP/06-16/Sec-11

354

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

कम्प्यूटरीकृत आगत पंजीयन संख्या (20) 132852 5/7/16

सकारण आदेश

~~कार्यालय आदेश~~ संख्या–14/अ0प्र0–3–49/15 8092 पटना, दिनांक–2.7.16

कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, शिवहर के कार्यालय ज्ञापांक– 615 दिनांक 24.07.2015 एवं कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, झंझारपुर के ज्ञापांक 935 दिनांक 05.08.2015 के द्वारा संवेदक अरावली इन्फ्रापॉवर लि0, 29 तीसरा तल्ला वर्द्धमान टावर, कम्युनिटी सेन्टर, विकासपुरी, नई दिल्ली–110018, निबंधन संख्या–554/2010 श्रेणी– प्रथम को काली सूची में डालने की अनुशंसा की गयी है। कार्य प्रमंडल, शिवहर के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत एकरारनामा संख्या–एस0बी0डी0/पी0एम0जी0एस0वाई/07 ऑफ 2010–11 के अधीन कुल 17 पथों का कार्य संवेदक द्वारा छोड़ देने के कारण काली सूची में डालने की अनुशंसा की गयी है, जो निम्नलिखित प्रकार से है:–

क्रमांक	पथ का नाम	पैकेज संख्या	कार्य प्रारंभ करने की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि
1	सरैया से भरवरिया पथ	BR-32R-051	03.06.2010	02.12.2011
2	रतन झा से ब्रम्हपुर पथ	BR-32R-102	03.06.2010	02.12.2011
3	बघारी से अथरी भाया थुम्मा पथ	BR-32R-103	03.06.2010	02.12.2011
4	मनिक चौक से हरसिंगपुर पथ	BR-32R-104	03.06.2010	02.12.2011
5	महिन्दवारा पी0बी0से सुगरीडीह सीमान पथ	BR-32R-106	03.06.2010	02.12.2011
6	सुगरीडीह से ढाब टोला पथ	BR-32R-108	03.06.2010	02.12.2011
7	जनार से रामनगर पथ	BR-32R-112	03.06.2010	02.12.2011
8	अथरी से रून्नी भाया खरका पथ	BR-32R-114	03.06.2010	02.12.2011
9	हाजीपुर से बसंत से तिलक ताजपुर पथ	BR-32R-117	03.06.2010	02.12.2011
10	बलुआ से फुलवरिया पथ	BR-32R-118	03.06.2010	02.12.2011
11	छपरा पी0डब्ल्यू0डी0 से आर0ई0ओ0 लदौरा चौक पथ	BR-32R-034	03.06.2010	02.12.2011
12	छपरा पी0डब्ल्यू0डी0 से आर0ई0ओ0 पथ	BR-32R-036	03.06.2010	02.12.2011
13	गोठवारा से सिरसिया पथ	BR-32R-048	03.06.2010	02.12.2011
14	पचनौर से ननौरा पथ	BR-32R-050	03.06.2010	02.12.2011
15	सिरोपटी से बलुआ भाया डुमरा पथ	BR-32R-052	03.06.2010	02.12.2011
16	हसौर से दरियापुर पथ	BR-32R-053	03.06.2010	02.12.2011
17	खरका से रैनाशंकर पथ	BR-32R-098	03.06.2010	02.12.2011